

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY) : (a) and (b). Industrial Development Bank of India (IDBI) has introduced a separate refinance scheme effective from January, 1984 for modernisation in small and small-medium industrial units. Tiny units and units in cottage and village industry sector which have been in existence for at least 5 years are also eligible for assistance under the scheme. The primary objective of the scheme is to encourage industrial units to overcome backlog of modernisation and adopt improved and updated technology and methods of production and to prevent mechanical and technological obsolescence. The rate of interest chargeable by the credit institutions on the loans granted under the scheme to industrial units, is fixed at 11.5% per annum and the refinance rate has been fixed at 9% per annum. The scheme also provides for a flexible approach in regard to debt-equity ratio and promoters' contribution.

भागीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर में नियुक्तियों/पदोन्नतियों में कथित अनियमितताएं

2918. श्री राम लाल राहो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष नई नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई थी तथा सेवा की अवधि तथा शैक्षिक योग्यताओं का ध्यान रखे बिना पदोन्नतियों की गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की संख्या क्या है जिनकी सेवा अवधि केवल एक वर्ष की नहीं थी लेकिन उनको क्षेत्र अधिकारी तथा (मैनेजर) प्रबन्धक के रूप में पदोन्नत किया गया था ;

(ग) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनकी सेवा अवधि 2 वर्ष से कम थी परन्तु उन्हें क्षेत्र अधिकारी, प्रबन्धक या प्रबन्धक के रूप में पदोन्नत किया गया है ;

(घ) उन कर्मचारियों की संख्या क्या है जिनकी सेवा अवधि तीन वर्ष से अधिक थी और जिनके नामवरिष्ठता सूची में उपयुक्त स्थान पर थे लेकिन उनको पदोन्नत नहीं किया गया है ; और

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण कोटा पूरा कर लिया गया है और यदि नहीं, तो कितनी नियुक्तियां तथा पदोन्नतियां की गयीं तथा उनमें से अनुसूचित जातियों के अभ्याथियों की संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को इन शिकायतों की जांच करने के लिए कहा गया है। नाबार्ड से सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात् यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Increase on Non-Developmental Expenditure and Rate of Inflation

2919. SHRI R.P. GAEKWAD : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether non-developmental expenditure has increased from Rs. 950 crores in 1951 to Rs. 49,200 crores during 1983-84 ;

(b) whether the tremendous increase in the non-developmental expenditure is responsible for inflation and increase in the price index ; and

(c) the price index during 1983-84 as against 1982-83 ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) No, Sir. According to an analysis of Central, State and Union Territory Budgets, the non-development expenditure was Rs. 534 crores in 1950-51 and Rs. 20,300 crores in 1983-84 (BE).

(b) There is no direct relationship between non-developmental expenditure of the Government and inflation.

(c) The average of index number of

wholesale prices (base : 1970-71=100) was 288.6 in 1982-83 and 315.3 in 1983-84.

Amendment to Enemy Property Act

2920. SHRI JITENDRA PRASADA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Government have received representations regarding harassment being faced by many citizens, specially members of the minority community on account of the operation of the Enemy Property Act ;

(b) the salient features of these representations received so far ;

(c) whether a proposal is under the active consideration of Government that the Enemy Property Act be suitably amended so that the desired relief is given and anomalies and absurdities removed ; and

(d) whether the operation of a similar Act in Bangladesh, known as the Vested Property Act, has been stayed till further orders on the representation of the Hindu minority ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND IN THE DEPARTMENT OF SUPPLY (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) and (b). It has been represented that some persons are facing difficulties on account of the operations of the Enemy Property Act. The main point made pertains to the apprehension that there is time consuming litigation and difficulties faced by some members of the Minority community and other persons in the sale and purchase of properties..

(c) Proposals in this regard are receiving the attention of the Government.

(d) No such orders have come to the notice of the Government.

मद्रास के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा

सोना पकड़ा जाना

2921. श्री शिव शरण बर्मा :

श्री जयपाल सिंह करमय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के सीमा शुल्क अधिकारियों ने जुलाई, 1984 में सिगापुर से आने वाले ब्रिटेन के एक राष्ट्रिक से लगभग 12 किलोग्राम सोना पकड़ा है ;

(ख) यदि हाँ, तो पकड़े गए सोने का क्या मूल्य अंकलित किया गया है और ब्रिटेन के इस राष्ट्रिक का नाम और पता क्या है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या उक्त सोने का मूल्य कम आँका गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एम० कुल्लन) : (क) और (ख) जी, हाँ ।

दिनांक 17 जुलाई, 1984 को, 2210, एच० एच० डेवल, पिपाले मालेट मेट्रो ; मनीला के निवासी रॉबर्ट मिल्लिंगन विंगिस, पुत्र श्री जाजं क्रुशंक विंगिस नाम ब्रिटेन—राष्ट्रिक को, जो सिगापुर से हवाई जहाज द्वारा मद्रास हवाई अड्डे पर उतरा था, उस समय मार्ग में रोका गया था, जब चीन चीन से उसकी निकासी हो चुकी थी। उसकी जामा-तमाशी लिये जाने पर उसके पास से विदेशी मार्के के सोने की एक-एक किनोग्राम वजन की मोने की बारह छड़ें बरामद हुईं। सोने की ये छड़ें उसने अपने शरीर में तथा अपने जाँघिए और पैट की जेबों में छिपाकर रखी हुई थीं। अशुभगुहृत सोने का बाजार-मूल्य 24.24 लाख रुपये है। उससे बरामद हुए इस सोने का अभिग्रहण सीमा शुल्क अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर लिया गया है। श्री विंगिस को गिरफ्तार करके न्यायिक रिवास्त में भेज दिया गया है।

(ग) जी, नहीं ।

Carpet Weaving Training Centres Under Development Commission (Handicrafts) in U.P.

2922. SHRI B.P. YADAV : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :